बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक :- 201564 पटना, दिनांक :- 17/09/2014.

ग्रा.वि.7(आ)-50/2013

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- **दिनांक 20.09.2014 को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित "प्रखंड स्तरीय मनरेगा मेला" में वितरण हेतु पम्पलेट एवं पुस्तिका को उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 191814 दिनांक 11.07.2014 (प्रति संलग्न) ।

महाशय,

विदित हो कि दिनांक **20.09.2014** को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में "प्रखंड स्तरीय मनरेगा मेला" का आयोजन किया गया है ।

2. प्रासंगिक पत्र के कंडिका-7 द्वारा मेले में लोगों को मनरेगा अंतर्गत निजी हित की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों को प्रति पंचायत औसतन 100 प्रति (योजनावार) की दर से वितरण सुनिश्चित कराये जाने का निदेश दिया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु पैम्फलेट की सामग्री भी आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई गयी है ।

3. इसी क्रम में विभाग द्वारा निम्नलिखित सभी योजनाओं (कुल 10) के प्रचार-प्रसार हेतु प्रति "प्रखंड स्तरीय मनरेगा मेला" 100 प्रति (योजनावार) पम्पलेट तैयार कराया गया है :-
(क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण (ख) मवेशियों के लिए पक्का फर्श, नाद एवं यूरीन टैंक का निर्माण (ग) तरल जैव खाद, संजीवक अथवा अमृतपानी (घ) एजोला एक पूरक पशुआहार (ङ) वर्मी कम्पोस्ट (च) नैडेप कम्पोस्ट (छ) खेत पोखर (ज) मत्स्य पालन, वृक्षारोपण सहित खेत-पोखर (झ) निजी पौधशाला एवं (ञ) वृक्ष संरक्षण योजना ।

4. साथ हीं मनरेगा अंतर्गत शीर्षक पुस्तिका "निजी हित की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें एवं उनका उपयोग" का मुद्रण कराया गया है जिसकी एक-एक प्रति प्रत्येक पंचायत को तथा कुछ प्रतियाँ प्रखण्ड एवं जिला को उपलब्ध कराया जाना है ।

5. इन तैयार पम्पलेटों एवं पुस्तिका का जिलावार वितरण दिनांक **18.09.2014** को निर्धारित किया गया है । अतः अनुरोध है कि उक्त तिथि को अपने जिले के लिये तैयार कुल पम्पलेटों (प्रखंडों की संख्याX1000) को विभाग से प्राप्त करने हेतु **<u>जिले से एक प्रतिनिधी को नियुक्त कर उन्हे वाहन के साथ भेजकर मंगा लिया जाय तथा मेले में इनका वितरण सुनिश्चित कराया जाय ।</u>**

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
विशेष सचिव ।